

पत्रांक : 29 / बी०एस०जी०-02 / 2018-19 / .../ बजट

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 14/12/2018

विषय : द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी 2018-19 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।


महोदय,

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग) झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक संख्या-1469, दिनांक 12.12.2018 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार झारखण्ड विधान सभा का शीतकालीन सत्र दिनांक 24.12.2018 से आहूत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा के इस सत्र में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया जाना है। द्वितीय अनुपूरक बजट हेतु केवल निम्न प्रकार के प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजे जा सकते हैं :-

- (i) भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम / केन्द्रीय सेक्टर स्कीम की हिस्सेदारी में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर बजट में संशोधन अपेक्षित है।
- (ii) विगत वर्ष / चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र प्रायोजित स्कीम या केन्द्रीय सेक्टर स्कीम में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गई है और उसका उपबन्ध नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों पर तृतीय अनुपूरक के समय विचार किया जायेगा।

वांछित प्रस्ताव दिनांक 18.12.2018 के अपराह्न 5.00 बजे तक योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के website <https://10.92.194.10/budgetjhr> या <https://jkuber.gov.in/budgetjhr> → budget → supplementary second पर online उपलब्ध कराया जा सकता है।

विश्वासभाजज,

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-02/2018-19/...५५५/बजट, राँची, दिनांक : 14/12/2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-02/2018-19/...५५५/बजट, राँची, दिनांक : 14/12/2018

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदा०/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-02/2018-19/...५५५/बजट, राँची, दिनांक : 14/12/2018

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना सह वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि तदनुसार Online Budget (C.O.B.T) की साइट को अद्यतन

कर लिया जाय।



(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।